

30-11-2021

का।

पत्रावली प्रसारण गांवों के गंग अभियान 2021 के अन्तर्गत आम संपादन मुख्यालय नेगड़िया पर आयोजित राजस्व शिबिर में चेरा डई। सार्वी बचपूद सूचना के उपस्थित नहीं आए। सार्वी द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान कारतकारी अधिनियम का एवं विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार इंगला से प्राप्त जवाब रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन परीक्षण पाया गया कि सार्वी ने अपनी स्वतंत्रता अराजी पर व्यावसायिक औद्योगिक स्थापित करने के उपयोग हेतु आवागमन करने के लिए 60फीट चौड़ा शरणा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु अनुमति पायी गई है। जबकि राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 को धारा 251(A) के प्रावधान अनुसार अधिकतम 30फीट तक चौड़ा शरणा दिया जा सकता है। सार्वी का मासिक पत्र प्रावधान अनुसार नहीं पाया जाने से अस्वीकार कर शरीज किया जाता है। पत्रावली के अंत में कुमार देकर नम्बर से कम है।

